

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 802/2011/सीकर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वाणिज्यिक कर विभाग, सीकर.

.....अपीलार्थी.

बनाम
मैसर्स कार्तिक ऑयल मिल,
नीमकाथाना, सीकर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एस.के.जैन, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 19.04.2018

निर्णय

1. यह अपील, वाणिज्यिक कर अधिकारी, सीकर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा गया है) द्वारा उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपीलीय आदेश दिनांक 01.10.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 30.03.2010 में आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति को अपास्त किया गया है।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिनौला की खरीद कर उस से बिनौला तेल का उत्पादन किया गया था, उसमें तेल की प्राप्ति बिनौला के वजन की 5.14 प्रतिशत रही थी। कर निर्धारण अधिकारी ने इस प्राप्ति को इस आधार पर अस्वीकार योग्य बताया कि बिनौला तेल के अन्य उत्पादकों द्वारा बिनौला से बिनौला तेल का निर्माण करने पर लगभग 10 प्रतिशत तेल निर्मित होता है। इस आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह माना गया कि उक्त व्यवहारी का भी उत्पादन 10 प्रतिशत तक हुआ होगा एवं वह 4.86 प्रतिशत उत्पादित माल का विक्रय भी बिना बिल के कर दिया जाना अनुमानित करते हुये, उसके बाजार भाव के अनुसार विक्रय मूल्य मानते हुये उस पर कर तथा इस कृत्य को करापवंचन का अपराध मानते हुये वैट अधिनियम की धारा 61



sm

लगातार.....2

के तहत शास्ति भी आरोपित की गई। इसके अलावा कर निर्धारण अधिकारी ने यह आक्षेप किया कि रुपये 53,99,477/- के जो विक्रय बिल जारी किये हैं उन विक्रय बिलों में वैट अधिनियम, 2003 की धारा 72(1) एवं नियम 38(2) के अनुरूप विवरण अंकित न होने से उस पर रुपये 4.31 लाख की शास्ति भी आरोपित की गई। उस आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार कर, कर रुपये 1,81,865/- एवं शास्ति रुपये 3,63,730/- एवं बिलों में विवरण उचित रूप से अंकित न करने के आरोप में धारा 72(2) के तहत आरोपित शास्ति रुपये 4,31,958/- एवं ब्याज को अपास्त किया गया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.10.2010 से व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

4. कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत अपील में विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अविधिक है एवं सामान्य व्यापार में अन्य निर्माणकर्ताओं द्वारा बिनौला तेल 10 प्रतिशत की प्राप्ति (Yield) के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी ने केवल 5.14 प्रतिशत की ही तेल की Yield बताई थी, ऐसी स्थिति में यह उचित रूप से अनुमानित किया गया है कि सामान्य प्राप्ति से 4.86 प्रतिशत की कम प्राप्ति हुई, उस अनुसार तैयार माल की गणना करते हुये, जो आदेश पारित किया गया वह विधिसम्मत था। अतः उसे पुनर्स्थापित किया जावे।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को उचित बताया एवं अपीलीय आदेश में किये गये विवेचन में कोई त्रुटि नहीं होने का कथन करते हुये राजस्व की अपील खारिज करने का निवेदन किया।


5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा कर निर्धारण आदेश, अपीलीय आदेश एवं प्रस्तुत रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण के सम्बन्ध में उपरोक्त वर्णित तथ्यों से यह प्रकट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी फर्म की किसी तरह की जांच या सर्वेक्षण किये बिना केवल अनुमान के आधार पर बिक्री राशि एवं टर्नओवर में वृद्धि कर उस पर कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश में केवल यह आधार दिया गया है कि अन्य दो तेल निर्माताओं के निर्माण के दौरान बिनौला में से तेल की प्राप्ति 10 प्रतिशत रहती है अतः इसे भी 10 प्रतिशत मानकर, उनकी घोषित 5.14 प्रतिशत Yield के स्थान पर 10 प्रतिशत Yield मानकर उस अनुसार माल




लगातार.....3

उत्पादित होना एवं उसकी बिक्री होना मान लिया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी के जवाब पर कोई ध्यान दिये बिना केवल मांग सृजित करने के उद्देश्य से आदेश पारित किया है व अविधिक होने के साथ न्याय विरुद्ध आदेश है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली पर उपलब्ध जवाब में यह बताया था कि उनके निर्माण प्रक्रिया एवं उपयोग किये जाने वाले बिनौला से कई वर्षों से इसी प्रतिशत में तेल प्राप्त होता है एवं उनकी खल में तेल की मात्रा अधिक रहती है। जवाब के समर्थन में शपथ पत्र एवं खल क्रेताओं के पत्र भी पेश किये गये थे, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने बिना कोई कारण अंकित किये एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी का यह आधार ही गलत है कि अन्य व्यवसायियों द्वारा निर्माण में अधिक तेल प्राप्त होता है अतः उक्त व्यवहारी का भी अधिक उत्पादन माना जावे। इस संबंध में अपीलार्थी अधिकारी द्वारा निम्न निष्कर्ष दिया गया है कि

“व्यवहारी द्वारा बिनौला से तेल का उत्पादन का जो 5.14 प्रतिशत तेल का निर्माण घोषित किया है उसे कर निर्धारण अधिकारी ने किसी विधिक जांच की जाकर मिथ्या होना प्रमाणित नहीं किया है तथा व्यवहारी के द्वारा बिनौला से बिनौला तेल का उत्पादन कम घोषित करके किन क्रेताओं को उचन्ति बिक्री की गयी है ऐसे किसी संव्यवहार को पारित आदेश में कर निर्धारण अधिकारी ने प्रमाणित नहीं किया है और न ही ऐसी कोई जांच रिपोर्ट ही पत्रावली में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब के संबंध में व्यवहारी के गुजरात एवं कर्नाटक के बिनौला विक्रेता व्यवहारियों से भी उनके क्षेत्र में बिनौला को पिलाई करने पर बिनौला तेल के प्रतिशत के बारे में कोई जांच भी सम्पादित नहीं की गई है। इसके अलावा पारित आदेश में हुनमानगढ़ की दो फर्मों से प्राप्त दस्तावेजों को ही आधार बनाकर व्यवहारी का बिनौला तेल का प्रतिशत 4.86 प्रतिशत से कम घोषित किया जाना जो निर्धारित किया है, यह पूर्णतया अविधिक है, क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी ने इस संबंध में विधिक जांच करके व्यवहारी द्वारा कम उत्पादन घोषित किया जाना एवं बिनौला तेल की उचन्ति बिक्री किया जाना प्रमाणित नहीं किया है जबकि बिनौला से बिनौला तेल का प्रतिशत बिनौला की किस्म, मशीनों की किस्म तथा पिलाई की संख्या के आधार पर अलग-अलग व्यवहारियों की अलग-अलग होती है। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी के द्वारा तेल निर्माण में प्रयुक्त बिनौला की किस्म पिलाई की संख्या एवं मशीनरी की स्थिति के संबंध में कोई जांच करके



२४


व्यवहारी के द्वारा घोषित माल तेल उत्पादन को मिथ्या प्रमाणित नहीं किया है। व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील आधारों में प्रस्तुत तर्क बलयुक्त होने से स्वीकार योग्य है।”


6. अपीलीय अधिकारी द्वारा दिया गया उक्त निष्कर्ष पूर्णतया विधिसम्मत होने से इस पर पूर्ण सहमति व्यक्त करते हुए राजस्व की अपील खारिज की जाती है।

7. प्रकरण में विवाद का दूसरा बिन्दु बिलों में पूर्ण विवरण अंकित न होने के आक्षेप पर अधिनियम की धारा 72(2) में शास्ति के आरोपण से संबंधित है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केवल मात्र यह लिखते हुये कि धारा 72(2) के प्रावधान के अनुरूप बिलों में विवरण अंकित नहीं किया है, शास्ति आरोपित की है, वह न्यायविरुद्ध है क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी ने एक भी ऐसा “विवरण” नहीं बताया जो बिलों में अंकित नहीं है बल्कि उन समस्त बिलों में दर्शाई बिक्री को स्वीकार कर उसका कर निर्धारण किया गया है एवं कर की गणना की गई है। अपीलीय अधिकारी ने इस बिन्दु पर यह टिप्पणी भी की है कि वर्ष 2009-10 में भी समान तरह से बिल जारी किये गये थे, एवं उस संबंध में भी नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी ने आरोप निरस्त कर दिये थे। इस तरह बिना किसी अपराध के आरोपित की गई शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किए जाने में कोई त्रुटि नहीं की है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य


(नत्थूराम)
सदस्य